कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा ।

पत्रांकः 3645 / 14-1 मथुराःदिनांकः25/4/2019.

सेवा में,

प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड,
मथुरा रिफाइनरी, मथुरा ।

विषयः– जनपद मथुरा में मथुरा–वृन्दावन मार्ग (एम0डी0आर0–123) कि0मी0–5 (चैनेज–4.246) ग्राम अहिल्यागंज बॉगर के प्लाट सं0–163/100/5 पर भारत पैट्रोलियम कार्पो0लि0, मथुरा द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (डीजल/पैट्रोल पम्प) के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.040988 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति ।

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ की पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/06/24/2019/एफ0सी0/35, दिनांक 11.04.2019 (प्रतिलिपि संलग्न है)

महोदय,

उक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद मथुरा में मथुरा–वृन्दावन मार्ग (एम0डी0आर0–123) कि0मी0–5 (चैनेज–4.246) ग्राम अहिल्यागंज बॉगर के प्लाट सं0–163/100/5 पर भारत पैट्रोलियम कार्पो0लि0, मथुरा द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (डीजल/पैट्रोल पम्प) के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.040988 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति की सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में निम्नलिखित बिन्दुओं पर पॉच–पॉच प्रतियों में अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु मु0–230133/– (रू0 दो लाख तीस हजार एक सौ तैंतीस मात्र) आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी ।

2.(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मान्नीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सि0) सं0–202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–32/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिए गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि मु0–25658/– (रू0 पच्चीस हजार छः सौ अठ्ठावन मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी

2(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाइन ई–रसीद की छाया प्रति सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, ताकि विधिवत स्वीकृति हेतु कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके ।

2(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनवद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी ।

3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा । अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी ।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पैट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की भूमि का उपयोग उपर्युक्त वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जाएगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊँची दीवाल बनाकर किया जाएगा ।

5. स्थापित पैट्रोल पम्प की चाहरदिवारी से 1.5 मीटर की दूरी बनाये रखते हुए परिसर के चारों तरफ कम आच्छादन वाले वृक्षों का रोपण किया जाएगा, जिसमें वृक्षों की अन्तर दूरी 1 से 1.5 मीटर रखी जाएगी ।

6. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देशों का पालन करेगी ।

7. पैट्रोल पम्प सामान्यतः रेस्ट एरिया कॉम्पलेक्स जिसमें सभी जनसुविधाऐं यथा पार्किंग, शौचालय आदि उपलब्ध हो, का हिस्सा होना चाहिए । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऐसे भवनों के निर्माण की पूर्ण योजना तैयार की जाएगी ताकि सड़ंक किनारे वृक्षारोपण को न्यूनतम क्षति पहुँच सके ।

8. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अनिधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा ।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा ।

अरविन्द कुमार
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मथुरा

पत्रांक   /   दिनांकित ।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । कृपया स्थल का निरीक्षण कर यह अवगत करावें कि सम्बन्धित प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम–1980 के उल्लंघन तो नहीं किया गया है, यदि किया है तो उससे अवगत करावें ।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा ।